170

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बैतूल/भू.रा./2017/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 02.05.2017 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, वृत्त भीमपुर प्रकरण क्रमांक 67/अ-12/16-17.

मोहनसिंह पिता दौलत जाति गोण्ड
निवासी गुरूवा तहसील भैंसदेही,
जिला बैतूल, म.प्र. ....आवेदक

विरूद्ध

गंगीयाबाई पति पिंजू जाति गोण्ड
निवासी दिदमदा पोस्ट बोरपानी,
तहसील टिमरनी, जिला हरदा, म.प्र. ....अनावेदक

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 31/10/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, वृत्त भीमपुर द्वारा पारित दिनांक 02.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम गुरूवा पटवारी हल्का नं. 08 तहसील भैंसदेही, जिला बैतूल में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 17/1 रकबा 6.518 हैक्टेयर भूमि आवेदक के नाम रा.मा.क्र.-4/अ-6/1993-94 में पारित आदेश दिनांक 29.09.1994 के अनुसार राजस्व

अभिलेखों में भूमिस्वामी हक में दर्ज हुई थी। उक्त भूमि आवेदक के नाम वर्ष 2016 तक अर्थात् 22 वर्ष तक भूमिस्वामी हक में दर्ज रही है, किन्तु अनावेदिका द्वारा अवैध प्रक्रिया के तहत वादग्रस्त भूमि पर स्वयं का नाम दर्ज करवा लिया, जिसकी एक अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष विचाराधीन है। अनावेदिका द्वारा वादग्रस्त भूमि पर स्वयं का नाम दर्ज होने का फायदा उठाते हुए नायब तहसीलदार, वृत्त भीमपुर के समक्ष सीमांकन आवेदन प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण 67/अ-12/16-17 दर्ज कर दिनांक 02.05.2017 से सीमांकन आदेश पारित किया गया। नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 129 में उल्लेखित प्रावधानों की अनदेखी कर अवैध प्रक्रिया के तहत सीमांकन कार्यवाही की गई है, जो प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि सीमांकन की प्रक्रिया समस्त भूमिस्वामी एवं स्वत्वाधिकारियों की तामिली की जाने के उपरांत ही की जा सकती है तथा उन्हें विधिवत सूचना दी जावेगी एवं उनकी तामिली की जाने की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, इन महत्वपूर्ण विधि के तथ्यों की अनदेखी कर आवेदक को विधिवत सूचना की तामिली किये बिना सीमांकन की कार्यवाही की गई, जो दूषित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। तर्क में यह भी कहा गया कि विधि के स्पष्ट प्रावधान है कि जिस वादग्रस्त भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद नहीं है, वहां सीमांकन का आदेश नहीं दिया जा सकता। इन महत्वपूर्ण विधि के नियम की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में विधि की गंभीर भूल की गई है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया तथा मौके पर सीमांकन की भौतिक कार्यवाही किये बिना आवेदक के पुत्र से जानकारी लेकर सीमांकन दस्तावेज तैयार किये जाने से विधि में ऐसी सीमांकन कार्यवाही अवैध होकर आवेदक पर बंधनकारी नहीं है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का मौके पर कोई सीमांकन नहीं किया गया। राजस्व निरीक्षक, भीमपुर द्वारा वादग्रस्त भूमि की नपाई कर न तो खुटिया गाडी गई और न ही कोई गड्डा खोदा गया और न ही भूमि की चतुर्सीमा के चिन्ह अंकित किये गये, मात्र मौखिक जानकारी के आधार पर की गई सीमांकन कार्यवाही विधि विरूत्र होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही दिनांक 02.05.2017 विधि विरूद्ध एवं विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदिका के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पड़ोसी कृषकों सहित आवेदक को सीमांकन कार्यवाही के सूचना पत्र जारी किये गये हैं। सीमांकन कार्यवाही में पुत्र शिवकिशोर, अशोक, सतीश, जयपाल उपस्थित थे और पंचनामा पर उपस्थिति स्वरूप उनके हस्ताक्षर स्पष्ट हैं कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक के पुत्रों एवं पंचों की उपस्थिति में विधिवत् सीमांकन किया जाकर पंचनामा बनाया गया है, जिस पर उपस्थित पंचों व आवेदक के पुत्रों के हस्ताक्षर हैं। दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, वृत्त भीमपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.05.2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर